Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में नगर पालिका पिड़ावा का कनिष्ठ अभियंता एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 अगस्त, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड़ एवं उज्ज्वल तिवारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगर पालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड़ को परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी तीन दुकानों की द्वितीय एवं तृतीय मंजिल की निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड़ द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा** के सुपरविजन में एसीबी झालावाड़ इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय उनकी टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए अर्जुन देव पाटीदार पुत्र श्री कैलाश चंद पाटीदार निवासी डूंगरगांव, तहसील एवं थाना असनावर, जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड़ एवं उज्ज्वल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी निवासी हेमड़ा तहसील एवं थाना सुनेल, जिला झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगर पालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड़ को परिवादी से **40 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।